R.K.
GROUP OF COLLEGE

Behind Kalwar Police Station, Kalwar, Jaipur (Raj.)

ASSIGNMENT

R.K. VIGYAN P.G. MAHAVIDHYALAYA

Affiliated to University of Rajasthan, Approved by Govt. of Raj.)

Kalwar Road, Kalwar, Jaipur (Raj.)

Website : rkgroupofcollege.com ,   Mob. No. : 9314501146

E-mail : hrshreebalajieducationsamiti@gmail.com

B.A. / B.Sc. / B.Com.

ASSIGNMENT WORK / MIDTERM TEST

Session 20 २४ - 20 २५

Semester III

Name of Student Kapil Singh Father's Name Dharm Singh

Roll No. .... Enrollment No. ....

Year .... Semester ....

PAGE NO. .... DATE ....

Sec-A

(1) पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं?

उत्तर सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है। जिसमें कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, उद्देश्यों, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश-पूंजी तथा आवेदकों की महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख कीजिए।

(2) कंपनी प्रवर्तक का क्या अर्थ होता है।

उत्तर प्रवर्तक कंपनी के सर्वेसर्वा होते हैं। किन्तु कानून की दृष्टि में प्रवर्तक कंपनी के एजेंट होते हैं न ही प्रन्यासी, किन्तु उनका कंपनी के साथ विश्वासाश्रित संबंध होता है। यह संबंध ठीक उसी प्रकार का होता है जैसा कि एजेंट का प्रधान के साथ अथवा प्रवर्तित

Teacher's Signature..

का हितधारी के साथ।

(3) कंपनी प्रवर्तक के कोई दो कर्तव्य बताइये ?

उत्तर

(1) सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना →

प्रवर्तकों का यह दायित्व है। कि वे कंपनी के प्रवर्तन के संबंध मे सभी महत्वपूर्ण तथ्यो को प्रकट करे।

(2) कंपनी के सौदे मे हित को प्रकट करना →

प्रवर्तको का यह भी कर्तव्य है। कि उन्हे अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी के किसी सौदे मे हित निहित है। तो उसे प्रकट कर देना चाहिए।

~~(4) कंपनी प्रवर्तक के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए~~

PAGE NO. .... DATE ....

प्र. (5) कंपनी प्रवर्तक के कोई दो दायित्व बताइए ?

उत्तर प्रवर्तकों के दो दायित्व ये हैं।

(1.) यदि कंपनी का समापन किसी झूठे या असत्य सूचना या तथ्य देने के कारण प्रस्तुत किये गये प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या प्रकट नहीं करने के कारण प्रस्तुत की गई घोषणा में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या प्रकट नहीं होने के कारण तथा अन्य किसी कपटपूर्ण कार्य के कारण हुआ है। तो प्रवर्तकों का इस संबंध में दायित्व होगा। तथा उन्हें इसके लिए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

(2) प्रारंभिक अनुबंधों के लिए दायित्व →

कंपनी के प्रवर्तक के समामेलन से पूर्व किये गये सभी प्रारंभिक

Teacher's Signature........................

PAGE NO. .... DATE ....

अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होता है।

(प्र.5) कंपनी प्रवर्तक के कोई दो अधिकार बताइए?

उत्तर

(1.) पारिश्रमिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार

(2.) गुप्त प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार।

(प्र.6) कंपनी निदेशक के उचित पारिश्रमिक तय करने की विधियों के नाम बताइये?

उत्तर

Teacher's Signature.......................................

(प्र० 7) अपनी निदेशक को पारिश्रमिक कौन देता है।

उत्तर

(प्र० 8) सदस्यो के स्वैच्छिक समापन को आवश्यक दो शर्ते बताइये।

उत्तर

(1.) शोधन क्षमता की घोषणा।

(2.) साधारण सभा मे संकल्प पारित करना।

(प्र० 9) सदस्यो के ऐच्छिक समापन के कोई दो परिणाम बताइये ?

उत्तर

(प्र०१०) साझेदारी किसे कहते हैं?
उत्तर

Sec B ->

प्र (1.) कंपनी प्रवर्तक के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए?

उत्तर एक कंपनी या तो पूर्णत: नये सिरे से शुरू होती है या चालू कंपनी को क्रय करती है। या वर्तमान में कंपनियों को संयोजित किया जाता है। इन सभी परिस्थितियों में एक प्रवर्तक को कई कार्य करने पड़ते हैं। कौन-से कार्य प्रवर्तकों

को करने पड़ते हैं। यह उसके द्वारा स्थापित की जाने वाली कंपनी के स्वभाव, वैधानिक तथा उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करती है।

(1.) कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा व्यवसायिक सम्भावनाओं को पता लगाना।

(2.) व्यवसायिक योजना के संबंध विस्तृत अनुसंधान करना।

(3.) कंपनी की कल्पना को साकार रूप देना।

(4.) प्रारम्भिक अनुबंध करना

(5.) प्रस्तावित कंपनी की वित्तीय योजना का निर्माण करना।

प्र.2.) अंश पूंजी में कमी करने की प्रक्रिया को समझाइए?

उत्तर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा

66 के अनुसार कंपनी की अंशपूंजी में कमी करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा →

(1.) विशेष संकल्प → सर्वप्रथम कंपनी को अपनी साधारण सभा में पूंजी में कमी करने का एक विशेष संकल्प पारित करना होता है।

(2.) अधिकरण को अनुमोदन हेतु आवेदन → तत्पश्चात् कंपनी को पूंजी में कमी करने से संबंधित विशेष संकल्प का अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसके लिए कंपनी को अधिकरण के समक्ष आवेदन करना होता है।

(3.) अधिकरण द्वारा देयताओं को सुनिश्चित करना → अधिकरण पूंजी की कमी के संकल्प पर अनुमोदन

PRIYANSHU

PAGE NO. .... DATE ....

को प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित होगा कि कंपनी पर कोई देयता नहीं है।

(4.) अधिकरण द्वारा सूचित करना →

तत्पश्चात अधिकरण कंपनी से अंशपूंजी में कमी से संबंधित प्राप्त आवेदन की सूचना केन्द्रीय सरकार को कंपनी रजिस्ट्रार को SEBI को तथा लेनदारो को देगा।

(5.) आदेश का प्रकाशन → अंशपूंजी में कमी के अनुमोदन के आदेश का प्रकाशन कंपनी द्वारा किया जायेगा।

Q.3 किन परिस्थितियों में संचालक को कंपनी से हटाया जा सकता है?

उत्तर

एक कंपनी के संचालकों को उनके पद से निम्न लिखित में से किसी भी रीति द्वारा हटाया जा सकता है।

(1.) साधारण संकल्प द्वारा →

(2.) हटाने के संकल्प की विशेष सूचना

(3) सूचना संचालक को भेजना

(4.) संचालक को सुनवाई का अवसर देना

(5.) हटाये गये संचालक की पुनर्नियुक्ति नहीं।

(6.) क्षतिपूर्ति।

(प्र० 4) अधिकरण द्वारा कंपनी समापन की आवश्यक शर्तें बताइये?

उत्तर

(1.) कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो।

(2.) विशेष संकल्प पारित करने पर।

(3.) कंपनी द्वारा भारत की प्रभुता एवं एकता आदि के विरुद्ध कार्य करने पर।

(4.) कंपनी के रुग्ण होने के कारण।

(5.) रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

(6.) कंपनी का वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में त्रुटि करने पर।

(7.) कंपनी का समापन न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण हो।

Sec - c

प्र० 1 अंतर नियमो से आप क्या समझते है। अंश द्वारा सीमीत कंपनी के अंत नियमो की विशेष सामग्री का वर्णन कीजिए।

उत्तर

सामान्य अर्थ मे जिन नियमो एवं उपनियमो की सहायता से कंपनी का प्रबंध एवं संचालन किया जाता है। उसे ही अन्तर्नियम कहा जाता है।

अंतर्नियम की विषय सामग्री

(1.) कंपनी के अन्तर्नियमो की विषय - वस्तु सम्बंधी सामान्य प्रावधान

(2.) अन्य विषय

(3.) अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान

(4.) मौलिक अन्तर्नियमो का सारांश एवं उसका संगीकरण।

PAGE NO. .... DATE ....

(5.) प्रावधान प्रवृति की कंपनी विधान के अधीन पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं

(6.) बिना अंशपूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा मे प्रावधान।

प्रश्न 3 कंपनी के प्रविवरण से आप क्या समझते है। एक प्रविवरण मे क्या - क्या विवरण दिए जाते है।

उत्तर प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है। जिसके माध्यम से कंपनी अपनी प्रतिभूति को अर्थात अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है।

प्रविवरण मे यह विवरण करना अनिवार्य है।

(1.) तिथि

Teacher's Signature....................

PAGE NO. .... DATE ....

(2.) हस्ताक्षर

(3.) कम्पनी संबंधी विवरण व अन्य नाम

(4.) निर्गम के खुलने व बंद होने की तिथि

(5.) आवंटन - पत्र जारी करने तथा रिफण्ड आदेश संबंधी घोषणा।

(6.) अनुसूचित बैंक मे पृथक खाते के सम्बंध मे विवरण।

(7.) अभिगोपन का विवरण।

(8.) महत्वपूर्ण व्यक्तियो की सहमति

(9.) अधिकार एवं संकल्प

(10.) पूंजी संरचना का विवरण।

(11.) प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवसाय

Teacher's Signature........................

PAGE NO. ....

DATE ....

(12) परियोजना संबंधी विवरण

(13) प्रतिवेदनों का संलग्न

(14) घोषणा,

(15) अन्य कोई भी सामग्री

(16) प्रमुख उद्देश्यों एवं व्यवसाय।

Teacher's Signature....................